प्रेस नोट- थाना कांट

जनपद शाहजहाँपुर

सराहनीय कार्य दिनाँक – 01.08.2026

"थाना कांट पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, आलाकत्ल चाकू बरामद; पुलिस टीम पर जानलेवा हमला कर भागने के प्रयास में जवाबी कार्रवाई के दौरान अभियुक्त घायल।

उत्तर प्रदेश शासन की अपराध के प्रति जीरो टॉलरेन्स की मंशा एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम तथा क्रियाशील व चिन्हित किये गये अपराधियों/वांछित/वारण्टी, अवैध मादक पदार्थ तस्करों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान, रोकथाम मादक पदार्थ/अवैध शराब शस्त्र, बिक्री- निर्माण की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना कांट के नेतृत्व में थाना कांट पुलिस टीम को बडी सफलता प्राप्त हुई ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2026 को आवेदक श्री चन्द्रपाल पुत्र रामकिशन, निवासी ग्राम प्रहलादपुर कमलनैनपुर, कस्बा एवं थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना कांट पर दी गई तहरीर के आधार पर आरोप लगाया गया कि विपक्षी 1. समीर पुत्र लियाकत अली निवासी मोहल्ला गढ़ी पूर्वी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर तथा उसके अन्य 03 साथियों ने एक राय होकर आवेदक के पुत्र गौतम को जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे उपचार हेतु जिला अस्पताल, शाहजहाँपुर ले जाया गया, जहाँ चिकित्सक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उक्त तहरीर के आधार पर थाना कांट पर मु०अ०सं० 367/2026, धारा 103(1)/3(5) बीएनएस बनाम समीर पुत्र लियाकत अली निवासी मोहल्ला गढ़ी पूर्वी, थाना कांट, जनपद शाहजहाँपुर एवं उसके अन्य 03 साथियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। दौराने गश्त थाना कांट पुलिस द्वारा अभियुक्त समीर पुत्र लियाकत अली को गिरफ्तार कर थाना कांट लाया गया। तत्पश्चात अभियुक्त को आलाकत्ल (चाकू) की बरामदगी हेतु घटनास्थल पर ले जाया गया। बरामदगी के दौरान अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर चाकू से हमला करते हुए भागने का प्रयास किया गया। आत्मरक्षा एवं अभियुक्त को रोकने के उद्देश्य से प्रभारी निरीक्षक थाना कांट द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया तथा उसे तत्काल पुलिस अभिरक्षा में उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में धारा 109(1)/115(2)/121(1)/132/262 बीएनएस एवं 4/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई। आवश्यक विधिक कार्यवाही पूर्ण करते हुए अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

समीर पुत्र लियाकत अली निवासी मो0 गढी पूर्वी, थाना कांट जिला शाहजहाँपुर उम्र करीब 19 वर्ष

गिरफ्तारी का दिनाँक, समय व स्थान-

थाना कांट क्षेत्रांतर्गत नहर कोठी व ग्राम दिलावरपुर के बीच में, दिनांक 01.08.2026 समय 05.08 बजे।

पंजीकृत अभियोग-

मु०अ०सं० 367/2026 धारा 109(1)/115(2)/121(1)/132/262 बीएनएस एवं 4/25 आयुध अधिनियम थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

अपराधिक इतिहास -

मु0अ0सं0 367/2026 धारा 103(1)/3(5)/109(1)/115(2)/121(1)/132/262 बीएनएस व 4/25 आर्म्स एक्ट थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

आलाकत्ल चाकू

पूछताछ अभियुक्त-

अभियुक्त समीर पुत्र लियाकत अली निवासी मोहल्ला गढी पूर्वी कस्वा व थाना कांट जिला शाहजहाँपुर ने पूछने पर बताया कि मृतक गौतम पुत्र चन्द्रपाल निवासी प्रहलादपुर कमलनैनपुर कस्वा व थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर ने मेरी तहेरी बहन कासफी की 12 जून को अपने मोबाईल में अपने साथ इन्टाग्राम पर स्टोरी लगायी थी। जिसे मैने उसके मोबाईल में देखा था मैने उसको डिलीट करने के लिए कहा तो उसने डिलीट कर दिया था। किन्तु एक दो दिन बाद गौतम ने पुनः अपने साथ मेरी तहेरी बहन कासफी का फोटो लगाकर स्टोरी लगा दी थी। मैने विरोध किया तो गौतम ने मुझे मारा था तो मैने सोच लिया था कि मैं इसे मारूँगा। आज मैंने बस अड्डे के पास से चाकू खरीदा और मैं रहमतपुर पर पहुँचकर गौतम के आने का इंतजार करने लगा जब गौतम मोटर साईकिल से आया तो मैने उसकी मोटर साईकिल को रूकवा लिया और उसी पर बैठकर हम दोनों उसकी साईकिल की दुकान पर चले गये वहाँ काफी देर बैठे रहे। उसी दौरान गौतम के पास तिलहर से फोन आया तो वह मुझे पीछे बैठाकर तिलहर के लिए चल दिया जैसे ही दिलावरपुर पुलिया के पास आया तो मैने पीछे से अपनी पैण्ट की जेब से चाकू निकालकर गौतम के सिर, गर्दन व पेट में बिना रूके लगातार मारता रहा जिससे गौतम लहुलुहान होकर मरणासन स्थिति में नहर पटरी पर ही गिर गया तो मैं वहाँ से बचने के लिए भागा तो पुलिया पर एक व्यक्ति मिला जिसने मुझे चोर समझकर हल्ला मचा दिया। मैं भागा और खेतो में छिप गया काफी लोग मुझे ढूँढने लगे और मुझे पकड लिया जब वह मुझे मारपीट रहे थे उसी समय दरोगी जी और एक सिपाही आ गये जो मुझे बचाकर ले गये। अगर वह मुझे मौके से लेकर न जाते तो लोग मुझे जान से मार देते। घटना में प्रयुक्त चाकू के बारे में पूछा तो उसने बताया उक्त चाकू को धान के खेत में फेंक दिया है जिसे मैं चलकर बरामद करा सकता हूँ। अन्य अज्ञात तीन मुल्जिमों के सम्बन्ध में पूछा तो कुछ नहीं बताया और चुप हो गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राकेश कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
2. उ0नि0 श्री नागेन्द्र तिवारी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
3. उ0नि0 श्री मोहित कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
4. उ0नि0 श्री शकील अहमद थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
5. का0 2510 अंकित गोस्वामी थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर
6. का0 1778 अंकित कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर

7. का0 1848 देवेन्द्र कुमार थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर